



Neutral Citation No. - 2026:AHC:5593

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 45007 / 2025

रोहित

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : आदेश कुमार, बरखा चौधरी

विपक्षी पक्ष(गण) के अधिवक्ता : आकाश त्यागी, शा.अधि., नेहा त्यागी

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. वाद-सूची की पुनः पुकार कराई गई है।
2. श्री आदेश कुमार, विद्वान अधिवक्ता, आवेदक के लिए, श्री प्रांशु गुप्ता, अधिवक्ता, श्री आकाश त्यागी, विद्वान अधिवक्ता, सूचनाकर्ता के लिए का संक्षिप्त धारक, श्री सुनील कुमार, विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता, राज्य के लिए को सुना गया और अभिलेख पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया गया।
3. आवेदक विचाराधीन विचारण लंबित रहने की अवधि में मुकदमा अपराध संख्या 317 / 2025, धारा 103(1), 191(2), 191(3), 131, 115(2), 352, 351(3) बी.एन.एस. और शस्त्र अधिनियम की धारा 4/25 के अधीन, थाना परतापुर, जिला मेरठ में जमानत चाहता है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसी प्रकार की स्थिति में सह-अभियुक्त अंशुल को, इस न्यायालय द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 33010 / 2025 में दिनांक 15.10.2025 के आदेश द्वारा पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है, इसलिए चूंकि आवेदक की भूमिका उस सह-अभियुक्त के समान है जिसे पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है, वह भी समानता के आधार पर जमानत पर रिहा किए जाने का हकदार है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



03.08.2025 से जेल में बंद है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

5. सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता ने इस आधार पर जमानत की प्रार्थना का बलपूर्वक विरोध किया है कि आवेदक का मामला एक अलग स्तर पर है क्योंकि उसके इशारे पर एक चाकू बरामद हुई है, इसलिए वह जमानत का हकदार नहीं है।
6. प्रत्युत्तर में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने कहा है कि उक्त बरामदगी आवेदक पर थोपी गई है।
7. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए और इस न्यायालय द्वारा नन्हा पुत्र नबहन खा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1993 Cri.L.J. 938 में पारित निर्णय और उच्चतम न्यायालय द्वारा पारस राम विश्वोई बनाम निदेशक, केंद्रीय जांच ब्यूरो, MANU/SCOR/22410/2021 में पारित निर्णय और सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और एक अन्य, (2022) 10 SCC 51 में पारित निर्णय के आलोक में, न्यायालय का यह मत है कि आवेदक ने जमानत के लिए मामला बनाया है। जमानत आवेदन समानता के आधार पर स्वीकार किया जाता है।
8. आवेदक रोहित, जो उपरोक्त मुकदमा अपराध में शामिल है, को निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए व्यक्तिगत बंध-पत्र और समान राशि में दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिहाई आदेश जारी करने से पहले जमानतदारों का सत्यापन किया जाए। (i) आवेदक मुकदमे के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। (ii) आवेदक अभियोजन के साक्षियों पर दबाव/धमकी नहीं देगा। (iii) आवेदक निर्धारित तारीख पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।
9. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने में की गई टिप्पणियां किसी भी प्रकार से विद्वान विचारण न्यायाधीश को साक्षियों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

9 जनवरी, 2026

(रवि कांत)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।